(3)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या :- 182 / 2022

पीठासीन अधिकारी :- (दिव्या) RAS

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा :- 212 आर.टी.ए.

1. महेन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह उम्र 50 वर्ष जाति बावरी निवासी नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सन्त सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह उम्र 31 वर्ष जाति बावरी निवासी नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जीवन सिंह पुत्र श्री साधू सिंह उम्र 33 वर्ष जाति बावरी निवासी नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. बचन कौर पुत्री श्री प्रताप सिंह पत्नी श्री नत्थूराम जाति बावरी निवासी रूपनगर, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. गुडिया पुत्री श्री प्रता सिंह पत्नी श्री चनण सिंह जाति बावरी निवासी रूपनगर, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. गामो (माता चिन्तो) पुत्री श्री चनण सिंह पत्नी श्री कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी हाकमावाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागवन्ती पुत्री श्री साधू सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री दलीप सारस्वत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र सहारण – प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 5

–:निर्णय:–

दिनांक 27/06/2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के दादा श्री प्रताप सिंह का देहान्त दिनांक 11.02.2001 को हो चुका है जिनके नाम से कृषि भूमि चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 हैक्टेयर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी के पिता श्री प्रताप सिंह के जायज व कानूनी वारिसान तीन पुत्र साधू सिंह, नत्थू सिंह, महेन्द्र सिंह व छः पुत्रियां भजन कौर, लाल कौर, राज कौर, चिन्तो, बचन कौर व गुडिया हुये जिनमें से पुत्र साधू सिंह व नत्थू सिंह फौत हो चुके है व पुत्रियां भजन कौर व चिन्तो फौत हो चुकी है। साधू सिंह का विवाह मुखत्यार कौर से हुआ था, जिनसे करनेल व अप्रार्थी संख्या 4 पैदा हुए. साधू सिंह के फौत होने के पश्चात मुखत्यार कौर ने साधू सिंह के भाई नत्थू सिंह से शादी कर ली, नत्थू सिंह के नुत्फे से मुखत्यार कौर के एक पुत्र पैदा हुआ जो प्रार्थी संख्या 2 है व प्रताप सिंह की पुत्री भजन कौर के दो संतान करनेल व रज्जो उत्पन्न हुये, भजन कौर का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रताप सिंह की एक पुत्री चिन्तो का विवाह चनण सिंह से हुआ था जिसके नुत्फे से एक संतान अप्रार्थी संख्या 3 पैदा हुई, चिन्तो का स्वर्गवास होने के पश्चात चनण सिंह ने चिन्तो की बहिन गुडिया अप्रार्थी संख्या 2 से शादी कर ली।

यह कि प्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 व 3, अप्रार्थी संख्या 6 के दादा व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के नाना श्री प्रताप सिंह के नाम चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 हैक्टेयर गैरखातेदार दर्ज है। इस कृषि भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 की बहिन व प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भुआ भजन कौर, लाल कौर व राज कौर ने अपना हक व हिस्सा का त्याग करते हुए जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी त्याग पत्र दिनांक 09.05.2013 प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने भी श्री प्रताप सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का त्याग मौखिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के दादा श्री प्रताप सिंह ने अपनी पुत्रियां अप्रार्थी संख्या 1, 2 व पोती अप्रार्थी संख्या 4 भागवन्ती व दोहिती अप्रार्थी संख्या 3 का विवाह दान दहेज देकर किया हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा श्री प्रताप सिंह के नाम दर्ज भूमि में अपना हक व

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

हिस्सा त्याग करने के पश्चात् उनका अब प्रताप सिंह के नाम दर्ज उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। श्री प्रताप सिंह के नाम दर्ज उक्त 5.756 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त में है व उक्त 5.756 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है लेकिन राजस्व अभिलेख में आज भी उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व दादा के नाम दर्ज चली आ रही होने के कारण प्रार्थीगण के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 आज मौखिक रूप से त्याग किये गये हिस्से से इन्कार कर रही है। इन हालात में प्रार्थीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी व हकदार है कि प्रार्थीगण वादपत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के मन में अब लालच आ गया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 आज लालच के वशीभूत होकर पूर्व में मौखिक रूप से त्याग किये गये हक व हिस्सा भूमि से इन्कार करते हुए प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी देने लगी है जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही अपना हक व हिस्सा की भूमि का हक त्याग प्रार्थीगण के पक्ष में किया हुआ है। अप्रार्थीगण का अब प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी कारित करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रही है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 अपने इस विधिविरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति होगी तथा उन्हें मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जा व खर्चा से नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी व हकदार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 वादपत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 हैक्टेयर कृषि भूमि के प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषिद्ध रहे।

यह कि प्रार्थीगण ने गत सप्ताह अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ मानकर उनके नाम घोषणा करवा देवें व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी फरमाई जावें कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 हैक्टेयर कृषि भूमि के प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषिद्ध रहे।

≈ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सहारण ने वकालतनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से जवाब इस पेश किया ओर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के दादा श्री प्रताप सिंह का देहान्त होना व उनके नाम चक 2 जेआरके पटवार हल्का मक्कासर तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नंबर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल तादादी 5.756 है0 गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कथन स्वीकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि के अलावा अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थीया संख्या 3 के नाना के नाम से चक 3 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 59/55 के पत्थर नंबर 113/227 (17) किला नंबर 18 ता 24, पत्थर नंबर 113/274 (27) किला नंबर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 9 ता 13 कुल 3.795 हैक्टेयर में 0.949 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न जबाव दावा मय काउंटर क्लेम है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की वंशावली अपूरी प्रस्तुत की गई है। भजन कौर के उक्त पुत्र व पुत्रियों के अलावा एक पुत्री राजकौर ओर है तथा अप्रार्थीया संख्या 3 गामो का सही नाम जसवीर कोर है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

(5)

यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 के पिता, अप्रार्थी संख्या 3 के नाना व अप्रार्थी संख्या 4 के दादा प्रताप सिंह के नाम से चक 2 जेआरके तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 141/127 के पत्थर नम्बर 105/249 (47) किला नंबर 1 से 19, 22 से 25 कुल 5.756 है0 गैर खातेदार दर्ज होने व प्रार्थी संख्या 1 की बहिन व प्रार्थी संख्या 1 व 2 की भुआ भजन कौर व लाल कौर व राज कौर द्वारा अपना हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 09.5.2013 को त्याग करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के शादी होने व प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में स्व0 श्री प्रताप सिंह के नाम दर्ज होने के कथन स्वीकार है तथा अन्य कथन जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, अस्वीकार है। अप्रार्थीया संख्या 1 से 3 ने कभी भी अपना हक व हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में मौखिक तर्क नहीं किया है बल्कि अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थीया संख्या 3 के नाना के नाम दर्ज कृषि भूमि में भजन कौर, लाल कौर व राज कौर द्वारा हक त्याग करने के पश्चात अप्रार्थीया संख्या 1 ता 3 का 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण प्रत्येक किसी भी प्रकार से 1/6–1/6 हिस्सा से अधिक भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है, कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस चरण में समस्त तथ्य लालच के वशीभूत होकर वर्णित किये है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय में नहीं आये है क्योंकि उक्त कृषि भूमि के अलावा स्व0 श्री प्रताप सिंह के नाम से चक 3 एसएनएम में कृषि भूमि और है जिसमें भी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थी संख्या 3 का अप्रार्थीया संख्या 4 के साथ व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/6–1/6 हिस्सा प्रत्येक का बनता है जिसका वर्णन जानबूझकर वादपत्र में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कभी भी अपना हक व हिस्सा का हक त्याग प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं किया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 के नाना स्व0 प्रताप सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में भजन कौर, लाल कौर व राज कौर द्वारा हक त्याग करने के उपरांत उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/6–1/6 हक व हिस्सा है। विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने हक व हिस्सा से अधिक की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है व ना ही सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

–:क्रियात्मक आदेश:–

प्रार्थना पत्र वादी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष में प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव किया। बहस सुनी जाकर मनन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा मौखिक हक त्याग वर्णित अपने प्रार्थना पत्र के संबध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में अपना हिस्सा तर्क किया हो। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जब किसी हिन्दू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है, तो उस व्यक्ति की सम्पत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या सम्बन्धियों में कानूनी रूप से विभाजित किया जायेगा। पक्षकारों के स्वत्व, अधिकार एवं हक/हिस्सा मूल वाद में तय होने है उसके लिए उभयपक्ष प्रभावी पैरवी कर सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर जारी अस्थाई व्यादेश दिनांक 13.07.2022 कों तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ